प्रकरण संख्या :- 58/22 तारीख 7.4.2022

01. दुर्गालाल पुत्र गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. भैरूलाल पुत्र गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. सुशीला पत्नि शंभूलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

02. सोहन पुत्र नन्दा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :- दिनांकः 7.4.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण **भैरूलाल, दुर्गालाल पुत्र गंगाराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)** ने जरिये **अभिभाषक श्री रामफूल धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि **ग्राम चांदजी कि खेडी पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 462 पर अंकित आराजी संख्या 1164/1055 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि सामलाती** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम चांदजी कि खेडी पटवार हल्का चांदजी कि खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 462 पर अंकित आराजी संख्या 1164/1055 रकबा 0.6475 हैक्टेयर भूमि सामलाती** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया